सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1801/MP/2/2023-ESDW **दिनांक: 19.06.2023**

श्री अंकित अस्थाना,
जिलाधिकारी,
जिला-मुरैना,
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,,
समाहरणालय भवन, एम.एस. रोड,
मुरैना, मध्य प्रदेश 476001
ई-मेल: dmmorena@nic.in

श्री आशुतोष बागरी,
पुलिस अधीक्षक,
जिला-मुरैना,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
मुरैना, मध्य प्रदेश,
मुरैना, मध्य प्रदेश 476001

विषय: ग्राम जीगनी, जिला- मुरैना, मध्य प्रदेश के भूमि सर्वे क्रमांक 865 रकवा 0.3200 भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों द्वारा कब्ज़ा किया जाने के संबंध में श्री कोक सिंह जाटव एवं अन्य, ग्राम जीगनी, तहसील एवं जिला- मुरैना, मध्य प्रदेश की और से दिनांक 11.05.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री कोक सिंह जाटव एवं अन्य से दिनांक 11.05.2023 में** एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

<u>संलग्न यथोपरि.</u>

(हरि राम मीना)
अनुसंधान अधिकारी

<u>प्रतिलिपि संलग्नः</u>

1. **श्री कोक सिंह जाटव,**
ग्राम जीगनी, तहसील एवं जिला- मुरैना,
मध्य प्रदेश

2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।